न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 26/2025
दायर दिनांकः–18.06.2025
पीठासीन अधिकारीः–विजयेश कुमार पण्ड्या, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

– प्रार्थी

बनाम

श्री सुशील डागरिया पुत्र श्री अजितमल डागरिया, मैसर्स चेतन किराणा गांधी नगर धरियावद

– अप्रार्थी

:–आदेश–:

दिनांक 05/08/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड नमकीन (मटर आटा पाम तेल से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फ़र्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र , तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 25.06.2025 को 2.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स चेतन किराणा गांधी नगर धरियावद पहुंचा। वहां पर नमकीन (मटर आटा पाम तेल से निर्मित) की 900 ग्राम के 8 पैकेट रखे थे। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया व उसका परिचय

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

लिया। विक्रेता ने अपना नाम सुशील डागरिया पिता अजितमल होना बताया । विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा जो विक्रेता के पास उपलब्ध था। उक्त नमकीन की थैलियों पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया ओर बताया कि उक्त नमकीन का एफएसएसए के तहत नमूना लिया जा रहा है जिसकी प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त नमकीन (मटर आटा पाम तेल से निर्मित) की 900 ग्राम की 04 पैक थैलिया वास्ते नमूना जॉच हेतु रखरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 480 रू नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

नमूना नमकीन को विक्रेता एवं गवाहान के समाने लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक, दिनांक, वस्तु का नाम व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर प्रत्यके भाग पर डीओ प्रतापगढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. वाई 2403 नियमानुसार चारो नमूना डिब्बो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर पर होते हुए करवाये,गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना के रेपर पर कोड नम्बर, सिरियल नम्बर, वस्तु का नाम, दिनांक व स्थान अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं के हस्ताक्षर किये ओर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश[illegible] स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को देकर रसीद प्राप्त की । शेष 2 सील बं[illegible] की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि[illegible]कारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म [illegible] की पुश्त पर है । शेष चौथा नमूना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

मय फार्म नं0 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जमा कराई, प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया नमकीन का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को फर्म से सम्बन्धित कागजात की छायाप्रति प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया। इस क्रम में मालिक द्वारा आधार कार्ड एवं फूड लायसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत की। अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री सुशील डागरिया को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया । अप्रार्थी अभियुक्त ने उसके उपर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांस/एक्ट/2025/319 दिनांक 07.03.2025 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेची जा रही नमकीन का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(I I) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(I I) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त के [illegible] 25.02.2025 को उपलब्ध कुल माल 8 पैकेट की कीमत 960 रू की पॉ[illegible] चार हजार हजार आठ सौ रू आरोपित की जाती है । अभियुक्त [illegible] न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0[illegible] नकद न्यायालय में अथवा जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 05.08.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

कमांक/रीडर/2025/2015 दिनांक 05.08.2025

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री सुशील डागरिया पुत्र श्री अजितमल डागरिया, मैसर्स चेतन किराणा गांधी नगर धरियावद

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested